मुआवजा

10 जिलों में पूर्णकालिक दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण का गठन

सड़क दुर्घटना पीड़ितों एवं दुर्घटना के फलस्वरुप मृतकों को ससमय मुआवजा मिल सके एवं मुआवजा के लिए दौड़–भाग नहीं करना पड़े इसके लिए राज्य में बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण का गठन किया गया है। देय मुआवजा के त्वरित भुगतान हेतु राज्य में (पटना, मुजफ्फरपुर, गया, छपरा, भागलपुर, मुंगेर, पूर्णियाँ, सहरसा, दरभंगा एवं डेहरी (रोहतास) कुल दस पूर्णकालिक दुर्घटना दावा न्यायाधिकरणों का गठन किया गया है। इसके लिये अधिनियम के अनुसार अर्हता प्राप्त दस सेवानिवृत जिला एवं सत्र न्यायाधिकरण के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति किये

जाने का प्रावधान किया गया है। इस कदम से मोटरवाहन अधिनियम के संशोधित प्रावधानों का त्वरित लाभ दुर्घटना पीड़ितों को केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली की संशोधित प्रक्रिया के अनुरूप उपलब्ध कराई जा सकेगी।

नॉन हिट एंड रन सड़क दुर्घटना में मृतक के आश्रित को 5 लाख रुपये का मुआवजा:–

नॉन हिट एंड रन सड़क दुर्घटना के मामलों में मुआवजा पीड़ितों और उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से दिया जाता है। इसमें दुर्घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की पहचान होने पर, मुआवजा बीमा कंपनियों या संबंधित पक्षों से दिलाया जाता है। यह मुआवजा पीड़ित परिवार की वित्तीय स्थिरता बनाए रखने और जीवनयापन में सहायता करता है।

इस योजना के तहत, मृतक के आश्रितों को 5 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को 2.5 लाख रुपये तक की राशि दी जाती है। इसके अलावा, मामूली चोटों के मामलों में भी उचित मुआवजे का प्रावधान किया गया है। मुआवजा प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया है ताकि पीड़ितों को समय पर राहत मिल सके। पीड़ित परिवार ट्रिब्यूनल के माध्यम से या बीमा कंपनियों से सीधे संपर्क कर दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। कई मामलों में, सरकार विशेष कोष या बीमा योजनाओं के माध्यम से भी सहायता प्रदान करती है।